सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

**पीठासीन अधिकारी :– राजवीरसिंह यादव आर0ए0एस0**
**मुकद्मा नम्बर :– 12/2013**

1. आसीन खां पुत्र शादी जाति मेव निवासी ग्राम रनियाला तह0 नगर (मृतक)

1/1 मौहम्मद खां
1/2 शौकत
1/3 हारून खां
1/4 समय खां

पिस0 आसीन खां पुत्र शादी जाति मेव नि0 रनियाला तह0 नगर

वादीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर
2. तहसीलदार साहब तह0 नगर
3. छीतर पुत्र गणेशी जाति ब्रा0 नि0 ग्राम पैण्डका तह0 नगर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –
1. श्री संदीप मदान, अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार नगर

## निर्णय दिनांक 22/12/2017

वादीगण ने यह दावा इस आश्य का संस्थित किया है कि हाल आ0ख0नं0 299/0.06, 318/0.05 बाके ग्राम रनियाला तह0 नगर साबिक आराजी ख0नं0 438मिन रकबा 1.03 बीघा से बने हैं । उक्त साविक ख0नं0 438 वादी के पिता शादी को सम्वत् 2003 के क्लेम के बदले में जिला पुनर्वास अधिकारी भरतपुर द्वारा 400/– प्रति बीघा के हिसाब से दिनांक 03.04. 1980 को एलौट हुआ था, जिसकी कीमत वादी के पिता शादी द्वारा जरिए रसीद सं0 09 पुस्तक सं0 290307 दिनांक 29.08.1988 रूपये 900/– जमा करा दी तथा आज तक वादी का पिता उसकी मृत्यु के बाद से वादी मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है लेकिन वि0आ0 पर रिकार्ड व मौके के खिलाफ राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 3 का नाम गलत रूप से पट्टेदार दर्ज किया हुआ है, जिसकी दुरूस्ती बावत् वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया लेकिन वे टालमटोल कर रहे हैं । प्रति0 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दिनांक 28.05.05 को एलानियां धमकी दी है कि वे वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगें । प्रतिवादी0 ने वि0आ0 पर प्रति0 संख्या 3 छीतर का नाम गलत रूप से दर्ज कर रखा है जबकि वि0आ0 से प्रति0 सं0 3 का कोई संबंध नही है ना ही उसका मौके पर कब्जा काश्त है । यदि प्रतिवादी0 अपने इरादेमें सफल हो गये तो वादी को असीम क्षति होगी । विदि वजह वादी डिक्री डिक्लेरेशन एवं हुक्म इम्तनाई दबामी पाने का अधिकारी है । प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वि0आ0 के बावत् पूर्व में

एक दावा संख्या 1049/1996 उनवानी छीतर बनाम उमराव प्रस्तुत किया था जो दिनांक 19.12.98 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया । अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को आ0ख0नं0 299/0.06, 318/0.05 बाके ग्राम रनियाला तह0 नगर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वि0आ0 को रहन वय मुंतकिल न करें तथा वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत न करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वाद पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है क्योंकि राज्य सरकार के नवीन नियम कस्टोडियन जमीन की खातेदारी बावत् दिनांक 28.11.04 जारी हो चुके हैं । वादी ने राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है । प्रतिवादी संख्या 3 के बावजूद सूचना उप0 नही होने पर दिनांक 20.07.2010 को उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई ।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई –

1. आया वि0आ0 वादी0 के पिता को सं0 2003 के क्लेम के बदले आवंटित हुई थी जिसकी सम्पूर्ण कीमत जमा हो चुकी है तथा मौके पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी0 अपने आपको वि0आ0 का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी हैं ? –– जिम्मे वादी0
2. आया वादी विरूद्ध प्रति0 डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?–– जिम्मे वादी0
3. आया वि0आ0 कस्टोडियन भूमि है जिस पर खातेदारी दिये जाने हेतु पृथक से नियम जारी हैं। अतः दावा वादीगण काबिल खारिज हैं ? –– जिम्मे प्रति0
4. आया वादी0 ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस नही दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है ? –– जिम्मे प्रति0
5. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के साथ नकल जमाबंदी सं0 2052–55 प्रदर्श–1, नकल आदेशिका दि0 19.12.98 मुकद्मा उनवानी छीतर बनाम उमराव बगै0 प्रदर्श–2, नकल वाद पत्र छीतर बनाम उमराव बगै0 मु0नं0 1049/96 न्यायालय सहायक कलक्टर नगर प्रदर्श–3, नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–4, नकल आवंटन आदेश दि0 03.04.80 प्रदर्श–5, दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी शौकत पीडब्ल्यू–1 एवं गवाह शरीफ पीडब्ल्यू–2 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं ।

हमने वादीगण के विद्वान अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया । नकल जमाबंदी सं0 2052–55 बाके ग्राम रनियाला प्रदर्श–1 के खाता संख्या 165 पर आ0ख0नं0 299/0.06, 318/0.05, 612/0.40 की बावत् – ''छीतर पुत्र गणेशीलाल कौम ब्राहम्ण सा0 पैण्डका गैर खातेदार (पट्टेदार)'' दर्ज होना पाया जाता है । वादी ने अपने पिता शादी को सम्वत् 2003 के क्लेम के बदले साविक ख0नं0 438 रकबा 1.3 बीघा का कीमतन आवंटन होने के आधार पर हाल ख0नं0 299 व 318 पर अपने आपको खातेदार घोषित करने बावत् अनुतोष चाहा है । पत्रावली में उपलब्ध नकल आदेश दिनांक 03.04.80 प्रदर्श–5 के अनुसार शादी को साविक ख0नं0 438 रकवा 1.3 बीघा का आवंटन होना जाहिर होता है, लेकिन वादीगण द्वारा उक्त भूमि की कीमत राजकोष में जमा कराने बावत् कोई सबूत प्रस्तुत नही किया है । नकल खसरा पत्रक प्रदर्श–4 के अनुसार साविक ख0नं0 438 से हाल ख0नं0 299/0.06 बनाया जाना साबित है तथा खाना नम्बर 23, 24 में नाम कृषक (गत व हाल) में छीतर पुत्र गणेशीलाल कौम ब्राहम्ण सा0 पैण्डका पट्टेदार साल 5 का अंकन हो रहा है जिससे यह साबित होता है कि यह रकबा पूर्व में प्रतिवादी संख्या 3 छीतर को आवंटित हो चुका था, जिसका अंकन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भी प्रतिवादी सं0 3 के नाम हो रहा है । इसके अलावा हाल ख0नं0 318 की बावत् मिलान क्षेत्रफल पत्रावली में उपलब्ध नही है तथा ख0नं0 318 भी वर्तमान में प्रति0 सं0 3 के नाम बतौर गैरखातेदार (पट्टेदार) दर्ज है । इस प्रकार उक्त समस्त विवेचन से यह सावित है कि वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं जिससे दावा डिक्री किये जाने योग्य नही है । अतः आदेश है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है । इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**

निर्णय आज दिनांक 22/12/2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(राजवीरसिंह यादव)**
**सहायक कलक्टर एवं**
**कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर**